न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—86/2019/223 (2019/00086)

1. जार्ज पेट्रिक पुत्र श्रेष्ठ प्रसाद उर्फ सुरेश प्रसाद, जाति ईसाई, निवासी आशापुरा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. सनी जार्ज पुत्र विलियम,
3. शिरोमणी जस्टीन पत्नि जस्टीन जॉन,
   समस्त जाति ईसाई, निवासी आशापुरा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 8.4.2015 अंतर्गत वाद संख्या 55/2012.

उपस्थितः—

1. श्री प्रदीप यादव, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 व 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 5.7.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 8.4.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने विवादित आराजियात बाबत् अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात ग्राम आशापुरा, तह0 नसीराबाद में स्थित भूमि खसरा नंबर 471 रकबा 1.60 है0, 458 रकबा 0.35 है0, 459 रकबा 0.50 है0, 252 रकबा 0.05 है0 स्थित है जो कि वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि है । उपरोक्त भूमियां वादीगण को दिनांक 15.10.1971 को विधिवत् रूप से आवंटित हुई थी । उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण आवंटन के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है इसके बावजूद अपीलांटस के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही की जा रही है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी राज्य सरकार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 8.4.2015 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज करने के आदेश

पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित कर विचारण न्यायालय द्वारा अपने क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का गंभीर रूप से उल्लघंन कर निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्व अभिलेख, शहादत, दस्तावेजी साक्ष्य की भी अनदेखी कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने वादी एवं प्रतिवादी के कथनों के आधार पर उक्त प्रकरण में कुल दो तनकियात कायम की किन्तु शहादत व सबूत बिना वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का उल्लेख किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है । तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था । उक्त तनकी को निर्णित करते समय अधी0न्याया0 ने यह माना है कि वादीगण ने उक्त भूमि के समर्थन में आवंटन पट्टा पेश नहीं किया तथा वादीगण ने कब्जा संभलाने का दस्तावेज पेश किया है जिसमें कुल 175–11–00 बीघा भूमि का कब्जा सामूहिक रूप से कई व्यक्तियों को दिया गया है, वादीगण को कौन से खसरा नंबर का कितना रकबा आवंटित हुआ यह वाद से स्पष्ट नहीं है । अधी0न्याया0 का उक्त निष्कर्ष दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत है क्योंकि अधी0न्याया0 ने स्वंय यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजी बाबत् दिनांक 15.10.1971 को डाक बंगला नसीराबाद में आयोजित राजस्व कैम्प में 175–11–00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था एवं उक्त आवंटन में कई व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी परन्तु उनके द्वारा केवल मात्र इस आधार पर कि प्रार्थी को कौन सा खसरा नंबर आवंटित किया गया के आधार पर तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई है जबकि वादीगण ने अपने वादपत्र में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि वादी संख्या 1 खसरा नंबर 471 पर तथा वादी संख्या 2 खसरा नंबर 458 व 459 पर एवं वादी संख्या 3 खसरा नंबर 352 पर काबिज काश्त है । बहस में आगे कथन किया कि उपरोक्त आवंटन के बाद विधिक रूप से वादीगण को कब्जा सहायक जिलाधीश, अजमेर के पत्र क्रमांक स.वि./81/2004 दिनांक 26.5.1981 के जरिये आदेशानुसार तत्कालीन नायब तहसीलदार उप तहसील नसीराबाद द्वारा संभलाया गया था जिसकी पालना रिपोर्ट तत्कालीन नायब तहसीलदार ने अपने पत्र क्रमांक 880 दिनांक 25.7.1981 के जरिये सहायक जिलाधीश, अजमेर को दी है । अधी0न्याया0 ने इस दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांट द्वारा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं किया गया है कि वादीगण को कौन से खसरा नंबर में कितना रकबा आवंटित हुआ है । अपीलांट एकतरफ तो विवादित भूमि आवंटित होना

बताते है वहीं दूसरी ओर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है । हम अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से भी सहमत है कि वादीगण अलग–अलग खसरा नंबर का आवंटन होना बताते है किन्तु उनके द्वारा एक ही वाद पेश किया गया है जो विधिअनुसार वर्जित है । वादीगण/अपीलांट अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्यों में साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहे है इसीलिये अधी0न्याया0 ने वादीगण के वाद को खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का निर्णय व डिक्री दिनांक 8.4.2015 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 5.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर